

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

रमेश चन्द बनाम राज लखार
मु.नं. 39/22 (दिविध)

31-10-25 पत्रावली पेश हुई। वकील आर्था
प्रतिभत। वकील आर्था ने बहस हेतु समय पाह
अप्रतिभत में अवसर दिभा जाता है। पत्रावली पाह
बहस की प्रग द्वारा 136 UR Act दिनांक 19.12.25
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

19.12.25 अतिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्वागत रखा
जाया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली -
प्रमाणित दिनांक 13.01.26 को पेश हो।

13.01.26 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में
व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका फतावली
पूर्वानुसार दिनांक 24.02.26 को पेश हो।

24.2.26 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को पार-
आवाज दिलवाई गई। उक्त पत्र अतुष्ट स्थित है।
इससे स्पष्ट है कि आर्था पत्रावली में कोई भी
कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली
आर्था की अरज हाजरी व अरज में रखी में खारिज हो
जाती है। पत्रावली फलतः अकार प्रेषित
उत्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)